



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 8 सितम्बर, 2020

भाद्रपद 17, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-5

संख्या 1789/पांच-5-2020

लखनऊ, 8 सितम्बर, 2020

उद्घोषणा

सा०प०नि०-57

एतद्वारा उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम, 2020 की धारा 3 के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को कोविड-19 महामारी से प्रभावित होने की उद्घोषणा की जाती है।

2-यह उद्घोषणा दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक या जब तक अग्रतर आदेश नहीं दिए जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य रहेगी।

आज्ञा से,  
अमित मोहन प्रसाद,  
अपर मुख्य सचिव।

